झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,गुरूवार, दिनांक :– 12 फाल्गुन, 1943 (श0) / 03 मार्च, 2022 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
25.	अ0सू0–05	श्री बिरंची नारायण	प्राकृतिक खेती करवाने।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	24.02.22
26.	अ0सू0–06	श्री बंधु तिर्की	अवैध निर्माण हटाना।	,, ,,	24.02.22
27.	अ0सू0–04	डॉ0 लम्बोदर महतो	बकाया पेंशन का भुगतान।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	24.02.22
28.	अ0सू0–23	श्री कमलेश कुमार सिंह	स्कूलों का निबंधन।	,, ,,	24.02.22
29.	अ0सू0–13	श्री मनीष जायसवाल	योजनाओं पर कार्य।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	24.02.22
* 30.	अ0सू0–07	डॉ0 सरफराज अहमद	मदरसों में पढ़ाई।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अ0सं0 एवं पि0 वर्ग कल्याण	24.02.22
31.	अ0सू0–24	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	योजनाओं को पूर्ण कराना।	,, ,,	24.02.22
32.	अ0सू0–01	श्री विनोद कुमार सिंह	मासिक मानदेय देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.22
# 33.	अ0सू0–02	श्री अमर कुमार बाउरी	किसान हित में बोनस देना।	,, ,,	24.02.22
34.	अ0सू0–03	डॉ0 लम्बोदर महतो	बिजली कटौती।	ऊर्जा	24.02.22
35.	अ0सू0–09	श्री प्रदीप यादव	विदेश अध्ययन करने।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अ0सं0 एवं पि0 वर्ग कल्याण	24.02.22

* → अनु.जा., अनु.जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्रांक–580, दिनांक–25.02.22 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को स्थानांतरित।

→ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक–220, दिनांक–26.02.22 के द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
36.	अ0सू0-14	श्री मनीष जायसवाल	निदेशक मण्डल का गठन करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	24.02.22
37.	अ0सू0-19	श्री प्रदीप यादव	मुफ्त साईकिल वितरण करना।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अ0स0 एवं पि0 वर्ग कल्याण	24.02.22

रॉंची,
दिनांक- 03 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-707/वि0स0,रॉंची,दिनांक-27/02/22

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/22

(कुन्दन कुमार सिंह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-707/वि0स0,रॉंची,दिनांक-27/02/22

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक,आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय** एवं **प्रभारी सचिव महोदय** के सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-707/वि0स0,रॉंची,दिनांक-27/02/22

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

शंकर/-

27.02.22

श्री विरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-05 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री विरंची नारायण, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में भारत सहित पूरा विश्व प्राकृतिक खेती/ऑर्गेनिक खेती पर काफी जोर दे रहा है और इस खेती से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को अनेक फायदे हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि रासायनिक खेती से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को काफी नुकसान हो रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है राज्य में कृषि के विकास हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही है और राज्य में कृषि विश्वविद्यालय एवं कई रिसर्च सेंटर कार्य कर रहे है, लेकिन अब तक सरकार राज्य के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक उपलब्ध नहीं करा सकी है, जिससे वे अपनी भूमि में उपलब्ध तत्वों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के हिसाब से पोषक तत्वों का प्रयोग करें;	राज्य सरकार के द्वारा अबतक 17,78,786 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोकारो सहित राज्य के सभी पंचायतों के एक-एक गाँव में प्राकृतिक खेती/ऑर्गेनिक खेती करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Organic Farming Authority Of Jharkhand (OFAJ) गठित है, जिसके द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत "जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद को प्रोत्साहन की योजना" एवं केन्द्रीय योजना अन्तर्गत "परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)" एवं "भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)" के तहत विभिन्न जिलों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। राज्य योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों में 30000 हे० में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु त्रिवर्षीय योजना रू. 100.00 करोड़ की लागत पर स्वीकृत है, पुनः राज्य के 10 जिलों (बोकारो सहित) में 20000 हे० में जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु रू. 68.80 करोड़ की त्रिवर्षीय योजना स्वीकृत है। वर्त्तमान में त्रिवर्षीय योजना PKVY अन्तर्गत 750 संकुलों में रू. 7650.00 लाख तथा 150 संकुलों में रू. 2340.68 लाख की लागत पर स्वीकृत किया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत राज्य के 19 आकांक्षी जिलों (1900 हे०) (बोकारो जिला सहित) तथा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) (3400 हे०) में प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध क्रमशः रू. 159.885 लाख एवं रू. 90.17 लाख की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु दृढ़ संकल्पित है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-07/2022 431 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-258 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(उपेन्द्र झा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-07/2022 431 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोलांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/जिला पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

26

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-06 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री बंधु तिर्की,मा0स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कृषि उत्पादन बाजार समिति, पण्डरा, राँची के मुख्य बाजार प्रांगण एवं टर्मिनल मार्केट यार्ड में अवैध रूप से 07 खटाल संचालित हैं;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि कृषि उत्पादन बाजार समिति, पण्डरा, राँची के मुख्य बाजार प्रांगण एवं टर्मिनल मार्केट यार्ड, पण्डरा स्थित दुकान/गोदाम एवं अन्य स्थलों में लगभग 245 अतिक्रमणकारी व्यापारियों का कब्जा है;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संबंधित अतिक्रमकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हाँ। अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु समिति स्तर से सूचना एवं आम सूचना दी गई है। प्रशासन की मदद से यथाशीघ्र नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त करा ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-07/कृ0वि0प0(अ0सू0)-01/2022 412 /कृ0, राँची, दिनांक- 28/02/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-255 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-07/कृ0वि0प0(अ0सू0)-01/2022 412 /कृ0, राँची, दिनांक- 28/02/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(27)

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या 04 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में विगत 05 (पाँच) महीनों से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को वृद्धावस्था/विधवा/ दिव्यांग पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण कई लाभुकों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन लाभुकों के बकाया पेंशन का भुगतान करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को छोड़कर) एवं सभी राज्य योजनाओं के अन्तर्गत लाभुकों को अद्यतन माह जनवरी, 2022 तक का पेंशन भुगतान किया जा चुका है। माह फरवरी,2022 के पेंशन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। चतरा एवं राँची जिला को छोड़कर इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत फरवरी, 2022 तक का भुगतान किया जा चुका है। उपर्युक्त दो जिलों में भी तकनीकी समस्या के समाधान होते ही भुगतान पूर्ण कर ली जायेगी। भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या– F.No.1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक–23.03.2021 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत निधि की विमुक्ति तथा इनके अनुश्रवण, उपयोगिता हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू करने के क्रम में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के भुगतान में विलंब हुआ।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा– 86/2022 – 514 राँची, दिनांक : 02-3-2022

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं०– 251/वि०स० दिनांक–24.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.3.22

(अरशद जमील)

सरकार के अवर सचिव।

(28)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछे जाने वाले
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 23 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या–05/एमबी/प्ले स्कूल–03/2015–3026, दि०नां०–12.07.2017 के अनुसार झारखण्ड प्रदेश में सभी निजी प्ले स्कूलों को निबंधन कराना आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के 24 जिलों में 500 से अधिक निजी प्ले स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जबकि किसी भी निजी प्ले स्कूल का खण्ड–1 में वर्णित अधिसूचना के अनुरुप निबंधन नहीं किया गया है ;	उपलब्ध अभिलेख के अनुसार कुल 128 प्ले स्कूलों का निबंधन अंगीकृत झारखण्ड राज्य प्ले स्कूल (मान्यता एवं नियंत्रण) नियमावली, 2017 की खण्ड–1 में वर्णित अधिसूचना के अनुरुप किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि गैर मान्यता प्राप्त निजी प्ले स्कूलों के संचालकों के द्वारा बच्चों के अभिभावकों से मनमाने ढंग से पैसों का दोहन किया जाता है ;	सम्प्रति इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
4.	क्या यह बात सही है कि मान्यता प्राप्त किए बगैर संचालित निजी प्ले स्कूलों में मानदंडों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड प्रदेश में निजी प्ले स्कूलों को सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त किए बगैर संचालन नहीं करने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य प्ले स्कूल (मान्यता एवं नियंत्रण) नियमावली, 2017 के निहित प्रावधानान्तर्गत निजी प्ले स्कूलों का संचालन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/मा०स०/विधान सभा– 90/2022 – 512 राँची, दिनांक : 02-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं०– 324/वि०स० दिनांक–24.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.3.22

(अरशद जमील)
सरकार के अवर सचिव।

(29)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-13 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर 36 योजनायें बनाई गई है जिसमें से अबतक मात्र 07 योजनाओं जैसे- उद्यान विकास योजना, ? सॉयल हेल्थ किट एण्ड रिफिल, एग्री क्लीनिक, कृषि प्रयोगशाला का स्थापना, बीज विनिमय वितरण, कृषि मेला प्रदर्शनी एवं कृषि ऋण माफी योजना पर कार्य की गई और अन्य 29 योजनायें ऐसी है जिसपर सरकार द्वारा अबतक कोई कार्य नहीं की गई;	आंशिक स्वीकारात्मक। कृषि प्रभाग अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजना मिलाकर कुल 36 योजनाएँ संचालित हैं। इनमें से 24 योजनाओं में स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत है। 04 नई योजनाएँ स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। 03 योजनाओं में सम्पूर्ण राशि प्रत्यर्पित है। 02 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं 01 राज्य योजना में स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 02 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में भारत सरकार से राशि अप्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में किसानों के हित में बनाई गई कुल 29 योजनाओं में कार्य नहीं होने के कारण राज्य वासियों को उक्त योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ा है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के किसानों के हित में चालू वित्तीय वर्ष में सभी शेष 29 योजनाओं पर कार्य शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार सभी योजनाओं का संचालन किये जाने हेतु कृत संकल्प है।

झारखण्ड सरकार

<u>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग</u>

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-04/2022 415 /कृ0, राँची, दिनांक- 28/02/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-257 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-04/2022 415 /कृ0, राँची, दिनांक- 28/02/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

4/G Drive/Vidhan Sabha/Question Answer/Sikha/T

(3)

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त दिनांक–03.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 24 का उत्तर प्रतिवेदन:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के महेशपुर एवं पाकुड़िया प्रखण्ड सहित अन्य प्रखण्डान्तर्गत पड़ने वाले सुविधाविहीन आदिम जनजाति बहुत ग्रामों/टोला में सोलर आधारित जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी थी;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्वीकृत योजनाओं में से अधिकांश योजनाएं या तो पूर्ण नहीं की जा सकी या पूर्ण की गयी योजनाएं बंद पड़ी है;	उपायुक्त पाकुड़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाकुड़ जिले में विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है:– स्वीकृत वर्ष – 2018–19 क्र0 | प्रखण्ड | स्वीकृत यूनिट | पूर्ण | अपूर्ण 1 | पाकुड़ | 12 | 12 | 2 | हिरणपुर | 18 | 18 | 3 | लिट्टीपाड़ा | 21 | 20 | 01 4 | अमड़ापाड़ा | 13 | 12 | 01 5 | महेशपुर | 10 | 10 | 6 | पाकुड़िया | 20 | 20 | कुल | 94 | 92 | 02 सभी 92 पूर्ण योजनाएं वर्तमान में कार्यरत (Functional) हैं। 02 अपूर्ण योजनाओं में बोरिंग का कार्य किया गया था परन्तु पानी का स्तर (Layer) नीचे रहने के कारण सफल नहीं हो पाया है।
3	क्या यह बात सही है कि पानी एक बुनियादी समस्या होने के बाद भी अपूर्ण एवं बंद पड़ी योजनाओं के कारण आदिम जनजाति के लोगों को पीने का पानी भी मयस्सर नहीं हो पा रही है;	सभी पूर्ण योजनाएँ वर्तमान में कार्यरत (Functional) है, जिस से आदिम जनजाति के लोगों को पेयजल मिल रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण एवं बंद पड़ी योजनाओं को अविलम्ब कार्यरत [Functional] बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक:– 10/CCD-वि0स0प्र0–06/2022 – 628 रांची/दिनांक– 02/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–462, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/3/2022
(स्मृता कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

e:\kailash sir\vidhan sabha\pro. stefen marandi.docx

(82)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछ जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-01 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 16580 कृषक मित्र गत 10 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में 12624 कृषक मित्र कार्यरत हैं।
2	क्या यह बात सही है कि उन्हें प्रोत्साहन के रूप में वार्षिक 12 हजार रूपये मात्र दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इनकी राशि में वृद्धि करते हुए मासिक मानदेय देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कृषक मित्र केन्द्र प्रायोजित योजना एस0एम0ए0ई0 की मार्गदर्शिका 2018 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्यरत हैं, जिन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति वर्ष 12000/- रूपये दिया जाता है। राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-03/2022 435 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-72 दिनांक-17.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-03/2022 435 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं जिगराबी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोयांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के "आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या अ०सू०-03 का उत्तर प्रतिवेदन

अ०सूचित

प्रश्नकर्त्ता डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दिनांक-06.01.2022 से राज्य के डी०भी०सी० के कमाण्ड एरिया के उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल के सात जिलों यथा हजारीबाग/ चतरा/ कोडरमा/ गिरिडीह/ धनबाद/ बोकारो तथा रामगढ़ जिलों में लगभग 12–13 घण्टों की बिजली कटौती डी०भी०सी० द्वारा किया जा रहा है जिसके कारण इन जिलों के निवासियों को अंधकार में जीने को विवश होना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। यह सूचित करना है कि श्री जगरनाथ महतो, माननीय शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में डी०वी०सी० के प्रतिनिधि के साथ दिनांक 28.01.2022 को वार्त्ता हुई एवं कार्यवाही प्रतिवेदन में अन्य निर्णय के साथ-साथ अध्यक्ष, डी०वी०सी० के द्वारा विद्युत आपूर्ति में की जा रही कटौती को वापस लेने का निर्णय लिया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों यथा रामगढ़, धनबाद गिरिडीह आदि के द्वारा यह बताया गया कि डी०भी०सी० के द्वारा विद्युत की आपूर्ति में कटौती की जा रही थी एवं दिनांक 28.01.2022 की मध्यरात्रि से विद्युत आपूर्ति सामान्य हो गई है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कौन-कौन सा प्रयास करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	झारखण्ड स्थित डी०वी०सी० कमांड एरिया अन्तगर्त बिजली सुदृढ़ करने हेतु डी०वी०सी० ग्रिड के अलावा सभी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र को झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के ग्रिड से जोड़ने का भी कार्य किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति अंचल, गिरिडीह के द्वारा यह सुचित किया गया है कि अप्रैल के अन्त तक सभी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र को झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के ग्रिड से जोड़ देने का प्रयास जारी है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं डी०भी०सी० के द्वारा बकाया राशि का Reconcilliation कर दिया गया है जिसे कैबिनेट के स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा ताकि भविष्य में डी०भी०सी० के द्वारा विद्युत का विनिमय नही किया जाय।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 396 / दिनांक 02/03/22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(35)

श्री प्रदीप यादव, स० वि० स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा "मरांग गोमके पारदेशीय शिक्षा योजना" के तहत छह आदिवासी नौजवानों को विदेश शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया है।	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2021–22 में मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के निम्न 06 (छः) छात्र/छात्राओं को United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland में अवस्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चिन्हित कोर्स के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है :– (i) श्री अजीतेश मुर्मू। (ii) सुश्री अकांक्षा मेरी बालमुचू। (iii) श्री दिनेश भगत। (iv) सुश्री प्रिया मुर्मू। (v) सुश्री अंजना प्रतीमा डुंगडुंग। (vi) श्री हर्ष मोहित किस्पोट्टा।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अन्य वर्गों के छात्रों को भी विदेश अध्ययन करने हेतु भेजने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्र/छात्राओं को मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने हेतु योजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्र/छात्राओं को भी मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आच्छादित करने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्र/छात्राओं को मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में आच्छादित करने हेतु सरकार दृढ़संकल्पित है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(अल्पसूचित)–04/2022 – 621 राँची, दिनांक– 02/03/2022

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–261 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/3/2022
(स्मृता कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

(36)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-14 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य को बीज उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर बनाने एवं किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा नवम्बर, 2011 में राज्य कृषि विकास निगम के गठन की मंजूरी दी गयी थी;	स्वीकारात्मक। नवम्बर, 2011 में झारखण्ड राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड का गठन किया गया है। उक्त झारखण्ड राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की संरचना The companies Act 1956 पर आधारित रहने के कारण उक्त निगम का नाम झारखण्ड राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड, राँची वर्ष 2016 में किया गया।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 01 में वर्णित निगम के गठन के 10 (दस) वर्ष बीतने के बावजूद सरकार द्वारा अभी तक उक्त निगम का निदेशक मण्डल का गठन नहीं की गयी है जबकि बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में किसानों के हित में उक्त निगम का संचालन हो रही है और झारखण्ड उक्त निगम के मामले में अन्य राज्यों पर निर्भर है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में खण्ड 01 में वर्णित निगम के संचालन पर सरकार 55.20 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान की है परन्तु उक्त निगम में निदेशक मण्डल का गठन के अभाव में उक्त राशि लैप्स होने की स्थिति में है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों के हित में खण्ड 01 में वर्णित निगम में वर्षों से लंबित निदेशक मण्डल का गठन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	निदेशक मण्डल गठित है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-05/बी०ए०सू०(अ०सू०)-11/2022 411 /कृ०, राँची, दिनांक- 28/02/2022

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं०-230 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 28/02/2022
(प्रदीप राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-05/बी०ए०सू०(अ०सू०)-11/2022 411 /कृ०, राँची, दिनांक- 28/02/2022

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रशासीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 28/02/2022
सरकार के अवर सचिव।

(37)

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर प्रतिवेदन:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनु०ज०जा०, अनु०जा० पिछड़ा वर्ग के 3.50 लाख स्कूली बच्चों को मुफ्त साईकिल दी जाती है।	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लगभग 3.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लगभग 3.00 लाख अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को साईकिल वितरण किया जाना है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 में साईकिल की अबतक खरीदारी न होने के कारण बच्चे इस लाभ से वंचित रह जायेंगे।	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए साईकिल क्रय हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया था, परन्तु तकनीकि कारणों से निविदा अंतिम रूप से निष्तारित नहीं की जा सकी। पुन: निविदा प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भी साईकिल क्रय हेतु निविदा प्रकाशित करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकार छात्र–छात्राओं को साईकिल क्रय कर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर स्कूली बच्चों को लाभ देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कण्डिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०य०(अल्पसूचित)–03/2022 – 630 राँची, दिनांक– 02/03/2022

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–263 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृति कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।